प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 15/2020)

*तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''शॉर्ट मैसेज सर्विस के लिए टैरिफ का विनियमन'' पर ड्रॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश, 2020 जारी किया।

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए ''शॉर्ट मैसेज सर्विस के लिए टैरिफ का विनियमन'' पर ड्रॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश, 2020 जारी किया है।

2. भादूविप्रा ने 5 नवंबर 2012 को दूरसंचार टैरिफ (54वां संशोधन) आदेश जारी किया था जिसमें दूरसंचार उपभोक्ताओं को अनचाही वाणिज्यिक संचार (यीसीसी) से प्रभावी तरीके से बचाने के लिए प्रति दिन 100 एसएमएस प्रति सिम से अधिक एसएमएस के लिए पचास पैसे प्रति एसएमएस का न्यूनतम टैरिफ अधिसूचित किया गया था। इस उपाय का उद्देश्य यूसीसी पर अंकुश लगाने के लिए भादूविप्रा द्वारा किए गए अन्य उपायों/नियमों की मदद करना था।

3. 2017 में प्राधिकरण ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (2018 का 6) दिनांकित 19 जुलाई, 2018 (टीसीसीसीपीआर 2018) को प्रस्तुत किया था। टीसीसीसीपीआर 2018 के तहत निर्दिष्ट नया विनियामक फ्रेमवर्क प्रौद्योगिकी पर आधारित है और यूसीसी का पता लगाने के लिए उन्नत हस्ताक्षर समाधान, यूसीसी डिटेक्ट प्रणाली जैसे प्रौद्योगिकी समाधन निर्दिष्ट करता है।

4. टीसीसीसीपीआर 2018 की शुरुआत के साथ यह अनुभव किया गया कि एसएमएस के लिए टैरिफ के विनियम की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, ड्रॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश, 2020, दूरसंचार टैरिफ (54वां संशोधन) आदेश द्वारा शुरू किए गए एसएमएस हेतु टैरिफ से संबंधित विनियामक प्रावधानों को वापस लेने का प्रस्ताव करता है।

5. परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, दूरसंचार टैरिफ आदेश के लिए प्रस्तावित 65वें संशोधन के ड्रॉफ्ट को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया जा रहा है। ड्रॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 3 मार्च, 2020 तक और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हो, 17 मार्च 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों अधिमानत ईमेल advfcal@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की जाएंगी।

6. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एव आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर 91-11-23230752/23236650 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।

7. ड्रॉफ्ट दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

(यू. के. श्रीवास्तव)

सचिव (आई/सी), भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।